Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/15095/2002/बीकानेर

1. रूघाराम उर्फ रूघानाथ पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम अपनी तहसील श्रीडूंगरगढ हाल जिला बीकानेर ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भैरूराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम अपनी तहसील श्रीडूंगरगढ हाल जिला बीकानेर।

2. चूनाराम (मृतक) पुत्र सेवाराम जरिए कायममुकाम

2/1 भोमाराम 2/2 मूणाराम 4/3 नानूराम 4/4 देराजराम 4/5 मदनलाल	पुत्रगण चूनाराम जाति जाट निवासी ग्राम अपनी तहसील श्रीडूंगरगढ हाल जिला बीकानेर।

3 रूपाराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम अपनी तहसील श्रीडूंगरगढ हाल जिला बीकानेर।

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ

श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थित

श्री रमजान मौहम्मद, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री खडगसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 20.3.18

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

दिनांक 26–7–2002एवं उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ पूर्व जिला चुरू हाल जिला बीकानेर का निर्णय एव डिक्री दिनांक 30–1–99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भैरूराम दत्तक पुत्र सुगनाराम ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 53 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी कुल रकबा 153 बीघा 10 बिस्वा जो ग्राम उपनी तहसील डूगरगढ में स्थित है के संबंध में निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में उसका 1/4 हिस्सा है तथा शेष 3/4 हिस्सा रूघाराम, चूनाराम एवं रूपाराम का है । वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी को वाद पत्र प्रस्तुत होने पर जरिए सम्मत तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 व 3 उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 23–8–96 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। । प्रतिवादीगण संख्या 2 रूघाराम ने दिनांक 20–10–96 के जबावदावा प्रस्तुत कर दावे की मद को अस्वीकार किया । अपनी विशेष आपत्ति में जाहिर किया कि भैंरूराम रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुगनाराम के गोद चला गया था । सुगनाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त खातेदारी खसरा नंबर 215 पर भैंरूराम ने काश्त की है तथा विरासत का नामान्तरकरण भी तस्दीक हो चुका है । वादी रेस्पोडेण्ट सुगनाराम के गोद चले जाने के कारण सेवाराम की आराजी में उसका हक समाप्त हो गया है। जबावदावे के आधार पर तनकियात कायम कर दिनांक 30–1–99 को वादी रेस्पोडेण्ट का दावा डिक्री कर दिया । अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 30–1–99 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई उसमे भी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 चुनाराम उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

गई । अपीलाण्ट ने दिनांक 9–11–2000 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(4) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट सख्या 2 चुनाराम का देहान्त हो गया है । इस कारण उसके कायममुकामान को रिकार्ड पर लिया जाकर मेरिट के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 26–7–02 को अपील को अबेट मानकर अपील खारिज कर दी । उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 चूनाराम को न्यायालय से नोटिस भेजे गए थे जो तामील भी हो चुके थे । बाबजूद तामील के रेस्पोडेण्ट चूनाराम के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 6–5–99 को एकतरफा कार्यवाही की गई जिससे दोबारा चूनाराम के वारिसों को सम्मन नोटिस पेश नहीं किए जा सकते थे । जब रेस्पोडेण्ट संख्या 2 चूनाराम का इन्तकाल हो गया था तो शेष रेस्पोडेण्ट इस कानूनी बिन्दु की कमी को दूर करने के लिए बाध्य थे कि वे आदेश 22 नियम 10–ए सीपीसी के तहत मृतक की सूचना प्रार्थना–पत्र के जरिए न्यायालय को देते किन्तु रेस्पोडेण्ट नंबर 1 व 3 की ओर से कोई जानकारी न्यायालय को नही दी गई । इस कारण अपीलाण्ट को मृतक के बारे में कोई इल्म नहीं था । अपीलाण्ट 90 दिन में कायम मुकाम की कार्यवाही करने के लिए बाध्य नही था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वाद एवं अपील विभाजन के संबंध में थे, दावा बंटवारा का था जिसके लिए राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । बंटवारे का दावा अबेट नहीं होता है । इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है । भैंरूराम अपने पिता सेवाराम के जीवनकाल में ही सुगनाराम के गोद चला गया था । इसी कारण उसका हक सेवाराम की सम्पत्ति में समाप्त हो गया

था । नामान्तरकरण सख्या 86 दिनांक 1–1–75 मृतक सेवाराम के पुत्र रूघाराम, चुनाराम रूपाराम के नाम तस्दीक कर दिया गया । आदेश 22 नियम 10 ए के तहत रेस्पोडेण्ट ने मृतक के बारे में न्यायालय को सूचना दे दी थी जबकि मौजूदा अपील बंटवारे को लेकर है जो अबेट नहीं हो सकती थी ।

विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30–1–99 में वादी के दावे को डिक्री कर संयुक्त खातेदार घोषित किया है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है । वादी के 1/4 हक व हिस्सा की भूमि का विभाजन कराने के आदेश दिए जाकर प्रारंभिक डिक्री जारी की जाती है ।

उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के यहां किए जाने पर उन्होने अपने आदेश दिनांक 26–7–02 में प्रस्तुत अपील को अबेट घोषित किया गया है ।

3. अपील के विचाराधीन रहते हुए पक्षकारान की ओर से एक राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट एक ही खानदान के भाई–भाई है और गावं के मोजीज व्यक्तियों की समझाईश से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है उसके अनुसार खसरा नंबर 64 में से 13 बीघा, खसरा नंबर 164 में से 33 बीघा कुल 46बीघा, आराजी रूघाराम पुत्र सेवाराम के हक व हिस्से की खतेदारी में रहेगी । रेस्पोडेण्ट नंबर 2 चूनाराम पुत्र सेवाराम की मृत्यु होने के पश्चात विधिक वारिसान भोमाराम, भूणाराम, नानूराम, देराजराम, मदनलाल, पिसरान चूनाराम के हक में खसरा नंबर 164 में से 13 बीघा तथा 64 में से 16 बीघा तथा खसरा नंबर 317 में से 22 बीघा कुल 51 बीघा आराजी चूनाराम के वारिसान के हक एवं अधिकार खातेदारी में रहेगी । खसरा नंबर 258 के 5.00 हेक्टर एवं खसरा नंबर 317 के 5.45 हेक्टेयर रूपाराम पुत्र सेवाराम की खातेदारी में रहेगी ।

खसरा नंबर 546 रकबा 4.07 हेक्टेयर भैरूराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रहेगी

यह राजीनामा दौराने अपील प्रस्तुत किया गया किन्तु इसे तस्दीक नहीं करवाया गया ।

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि पक्षकारों में राजीनामा हो चुका है जिससे इनके राजीनामा अनुसार दावा डिक्री करने हेतु उपखण्ड अधिकारी रतनगढ को भेज दिया जावे ।

पक्षकारों को इतनी दूर आने में परेशानी होती है । उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय उनके निवास स्थान के नजदीक होने से अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट उपस्थित होकर राजीनामा तस्दीक करवा लेंगे ।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7. राजस्व अपील प्राधिकारी ने मृतक पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने से प्रस्तुत अपील को अबेट घोषित किया है जब कि दावा बंटवारे का है । बंटवारे का दावा विधि अनुसार कभी भी अबेट नहीं होता है। अपीलीय न्यायालय को तकनीकी आधार पर अपील अबेट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर गुणागुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त योग्य है । चूंकि अब पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकार आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं ।

7. फलस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 26-7-2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें । यदि पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा तस्दीक करवावें तो उसी अनुसार कार्यवाही करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा) (मोहन लाल नेहरा)

सदस्य सदस्य